इसके पहले जहाँ पर टोल प्लाज़ा लगाया गया था, वह शहर के नजदीक था, लेकिन अब उसको कानपुर और कानपुर देहात के बीच में स्थानांतरित किया गया है। ज्यादातर किसान, जो आस-पास के गाँवों में रहते हैं, उनका रोज मुख्यालय में आना-जाना होता है और मुख्यालय आने-जाने में रोज़ विवाद होते हैं।

महोदय, मेरी माँग है कि पहले जहाँ पर टोल प्लाज़ा स्थापित था, अगर उसी स्थान पर फिर से इसको स्थापित कर दिया जाएगा, तो ये सारी समस्याएँ खत्म हो जाएँगी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से माँग करता हूँ कि टोल प्लाज़ा को बारा से हटाकर पूर्व की भांति सिकन्दरा के पास काल्पी रोड पर स्थानांतरित कर दिया जाए, ताकि रोज़ की ये समस्याएँ, झगड़े खत्म हो जाएँ। जो टैक्स देना हो, वह दे, न देना हो, न दे, यह उसकी अपनी मर्जी की बात है, लेकिन इससे समस्याएँ पैदा नहीं होंगी। रोज़ आए दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं कि आज वहाँ झगड़ा हुआ, आज वहाँ झगड़ा हुआ। सभापति महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि इस विषय पर माननीय मंत्री जी को आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें ताकि समस्या खत्म हो सके।

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI (Maharashtra): Sir, I associate myself with the submission made by the hon. Member.

श्रीमती जया बच्चन (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करती हूँ।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

SHRI SUBHASH CHANDRA SINGH (Odisha): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

SHRI BHASKAR RAO NEKKANTI (Odisha): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

Need for reissuance of ration cards cancelled on account of not being biometrically linked to Aadhaar

प्रो. मनोज कुमार झा (बिहार): सभापति महोदय, आपने मुझे पुनः एक महत्वपूर्ण विषय संज्ञान में लाने के लिए परमिशन दी है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सर, कोरोना के इस दौर में बड़ी चिंताजनक कुछ खबरें आ रही हैं, जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक भी पहुँची हैं। तीन से चार करोड़ राशन कार्ड्स कैंसिल कर दिए गए हैं। पहले कहा गया कि ये सारे बोगस हैं, लेकिन बाद में तहकीकात से पता चला कि इनमें से अधिकांश इसलिए कैंसिल हुए थे, क्योंकि जो biometric linkage है, वह नहीं हो पा रहा था, मसलन iris identification, thumb prints आदि और technological system से बिना इस बात की पड़ताल किए हुए कि ट्राइबल और रूरल एरियाज़ में इंटरनेट का क्या हाल है? इसकी वजह से कई जगह से hunger deaths की भी reports आईं। अगर हमारे मुल्क में इतनी संपदा के बाद भुखमरी से मौत हो रही है, तो यह हम सब पर एक बेहद ही अशोभनीय सी टिप्पणी है कि हम किस प्रकार का समाज और निज़ाम गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूँगा कि इन सारी तकनीकी खामियों, तकनीकी दिक्कतों को खारिज करते हुए यह व्यवस्था की जाए कि तमाम जो राशन कार्ड्स कैंसिल किए गए हैं, उनको बहाल किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, एक और महत्वपूर्ण पहलू है और वह यह है कि लोगों ने right to food बड़े संघर्ष के बाद हासिल किया, उस कानून के तहत अलग-अलग राज्यों में district level पर nodal officers appoint होने थे। Unfortunately, किसी भी राज्य में nodal officer appoint नहीं हुआ है, किसी को additional charge दे दिया गया है और उनमें से अधिकांश लोग food supply department से आ रहे हैं।

मैं आपसे आग्रह करूंगा कि फूड सिक्युरिटी एक्ट का जो तत्व है, जो उसके प्राण हैं, जो उसकी आत्मा है, उसके मद्देनज़र कैंसिल कार्ड्स रीइश्यू किये जाएं और साथ ही साथ एक कमिटमेन्ट भी आए कि हमारे लिए खाद्य सुरक्षा महज एक कागज पर लिखी इबारत नहीं है, उसे हम जमीन पर उतारना चाहते हैं, ताकि अगर एक भी हंगर डेथ होती है तो एक सभ्य समाज के बारे में यह अच्छी टिप्पणी नहीं है, शुक्रिया, जयहिन्द।

श्री राजीव सातव (महाराष्ट्र)ः महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री अहमद अशफाक करीम (बिहार)ः महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

[†]**جناب احمد اشفاق کریم (بہار**) : مہودے، میں بھی مانّئے سدسئے کے ذریعے اٹھائے گئے موضوع سے خود کو سمبدّھہ کرتا ہوں۔

चौधरी सुखराम सिंह यादव (उत्तर प्रदेश)ः महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश)ः महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्रीमती फूलो देवी नेतम (छत्तीसगढ़): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये विषय से स्वयं को सम्बद्ध करती हूं।

[†] Transliteration in Urdu script.

श्रीमती छाया वर्मा (छत्तीसगढ़): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये विषय से स्वयं को सम्बद्ध करती हूं।

श्री नीरज डांगी (राजस्थान): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री रामकुमार वर्मा (राजस्थान)ः महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री राम नाथ ठाकुर (बिहार): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

SHRI G.C. CHANDRASHEKHAR (Karnataka): Sir, I would also like to associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

DR. L. HANUMANTHAIAH (Karnataka): Sir, I would also like to associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI (Maharashtra): Sir, I would also like to associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

DR. AMEE YAJNIK (Gujarat): Sir, I would also like to associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

DR. NARENDRA JADHAV (Nominated): Sir, I would also like to associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

SHRIMATI VANDANA CHAVAN (Maharashtra): Sir, I would also like to associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I would also like to associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I would also like to associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

SHRI SUJEET KUMAR (Odisha): Sir, I would also like to associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

SHRI SUBHASH CHANDRA SINGH (Odisha): Sir, I would also like to associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I would also like to associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

SHRIMATI JAYA BACHCHAN (UTTAR PRADESH): Sir, I would also like to associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

SHRI BHASKAR RAO NEKKANTI (Odisha): Sir, I would also like to associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

श्री सभापतिः श्री राम विचार नेताम और उसके बाद श्री कनकमेदला रवींद्र कुमार बोलेंगे, इनका सब्जेक्ट एक ही है, स्टेट्स अलग हैं, लेकिन एक के बाद एक बोलेंगे।

Implementation of the Pradhan Mantri Aawas Yojana-Gramin (PMAY-G) in Chhattisgarh

श्री राम विचार नेताम (छत्तीसगढ़): सभापति महोदय, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। पूरे देश में गरीब लोगों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए एक बहुत उपयोगी प्रधान मंत्री आवास योजना लागू की गई, जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा पीएम आवास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, किन्तु छत्तीसगढ़ के आवासहीन जरूरतमंदों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

एक माननीय सदस्यः सर, यह एलिगेशन है।

श्री राम विचार नेताम: यह एलिगेशन नहीं है, मैं आगे बता रहा हूं कि क्यों नहीं हो रहा है।

श्री सभापतिः आप सुनिये, यदि कोई आरोप है, तो मैं देखूंगा।

श्री राम विचार नेतामः महोदय, वर्ष 2019-20 में 1,51,100 और 2020-21 में 6, 48,863 आवासों के लिए केन्द्र सरकार की स्वीकृति का लक्ष्य मिला था, परन्तु राज्य सरकार ने मात्र 1,20,000 आवास बनाने का निर्णय लिया है। इस प्रकार लगभग 8,60,000 आवासहीन परिवार इस मूलभूत सुविधा से वंचित हो जाएंगे। पीएम आवास योजना में केन्द्र सरकार द्वारा साठ फीसदी राशि और राज्य